



प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स



प्लास्टिक के झंडे



गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया



प्लास्टिक के कैंडी स्टिक



आइस्क्रीम की प्लास्टिक की डंडिया



मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में

BANNER

100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर



पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री



कटलरी जैसे- प्लेट, कप, गिलास, काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्ट्रर



प्रासंगिक नियमावली की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया QR Code स्कैन करें



Plastic notification- 943&1043/2018



Plastic notification- 525&1012/2021

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा नवम्बर, 2024 में प्रकाशित एवं दीक्षा आर्ट एण्ड प्रिन्टर्स, पटना, मो. 9431436534 द्वारा 2000 प्रतियाँ मुद्रित



स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध...

थर्मोकोल समेत प्लास्टिक से बने एकल उपयोग वाली चिन्हित सामग्रियों पर 01, जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबंध!



प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री तथा -

कटलरी जैसे - प्लेट, कप, गिलास, काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्ट्रर साथ ही मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में; 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर।



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना - 800 010
फैक्स- 0612 2261050, ई-मेल-msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट-http://bspcb.bihar.gov.in

मनुष्य अनादि काल से ही विकास की नई उँचाईयों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसने विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, कृषि, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। विज्ञान के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपनी सुख-सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उदाहरणस्वरूप, मनुष्य ने ऐसा ही एक पदार्थ बनाया है—प्लास्टिक, जो प्राकृतिक नहीं है वरन् इसे कृत्रिम रूप से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। प्रतिदिन प्रातः जागने से लेकर रात्रि में सोने जाने तक प्लास्टिक की उपयोगिता हम देख सकते हैं; ऐसे पदार्थों की उपयोगिता पर हमें कोई शक नहीं परन्तु, इनसे हानियाँ भी कम नहीं।

● क्या है प्लास्टिक ?

प्लास्टिक कृत्रिम रूप में बनाया गया एक पॉलिमर है। सामान्यतया गुणों के आधार पर प्लास्टिक को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है—थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक।

थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक है जिसे उत्पादन के समय जिस आकार में ढाल दिया जाता है, वैसा ही रहता है। इसे दोबारा गर्म कर अथवा पिघलाकर किसी अन्य रूप में नहीं ढाला जा सकता। ये हैं—बेकलाइट, मेलेमाइन एवं यूरिया-फार्मल डिहाइड रेसिन, इत्यादि।

थर्मोप्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा उन्हें वांछित आकार में ढाला जा सकता है। ये हैं—नाइलोन, पॉलिइस्टर (टेरीलीन), पॉलीस्टाइरीन, पॉली विनाइल क्लोराइड (पी.वी.सी.) एवं पॉली-इथीलीन (पॉलीथीन)। प्लास्टिक के थैले थर्मोप्लास्टिक प्रकार के प्लास्टिक से बने होते हैं। ऐसे प्लास्टिक के थैले सफेद रंग के अनुप्रयुक्त प्लास्टिक (Virgin plastic) से बने होते हैं। कई बार पुनः चक्रित प्लास्टिक से भी रंगयुक्त थैले बनाये जाते हैं।

● प्लास्टिक थैलों/कैरी बैगों का पुनःचक्रण (रिसाइक्लिंग)

सफेद/प्राकृतिक रंग के प्लास्टिक के थैले पहली बार उपयोग के पश्चात कूड़े में फेंक दिये जाते हैं, जिसे कूड़ा-कचरा चुननेवाले कबाड़ीवाले पुनः चक्रण (रिसाइक्लिंग) करने वाली इकाईयों को बेच देते हैं। जहाँ वे इसे ताप द्वारा गलाकर पुनः प्लास्टिक के थैले का रूप दे देते हैं।

ऐसे प्लास्टिक थैले कई प्रकार के जीवाणुओं/विषाणुओं से ग्रसित हो सकते हैं। इन्हें पूरी तरह साफ एवं विसंक्रमित किये बिना पुनः गलाकर तथा इसमें कई प्रकार के खाद्य/अखाद्य रंग, जिसमें सीसा (Lead) या अन्य पदार्थ भी होता है, डालकर रंगीन प्लास्टिक थैला (कैरी बैग) बनाया जाता है। ऐसे ही थैलों को पुनः चक्रित (रिसाइक्लड) प्लास्टिक कैरी बैग/थैला कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिक थैलों में खाद्य पदार्थ रखे जाने से वे इनमें प्रयुक्त अखाद्य रंगों से मिलकर विषाक्त हो सकते हैं, जिसे खाने पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

● प्लास्टिक थैलों/कैरी बैगों से हानि :

इन प्लास्टिक थैलों से नालियाँ जाम हो जाती हैं तथा गली-मुहल्लों में गंदे जल के जमाव की स्थिति आ जाती है, जिससे मक्खियाँ, मच्छर तथा बैक्टीरिया को पनपने का अच्छा अवसर मिलता है।

ये प्लास्टिक थैले पेड़-पौधों के विकास में बाधक बनते हैं। प्लास्टिक जैव-अविघटनकारी (non bio-degradable) होते हैं अर्थात् स्वयं इनका

विनाश कई वर्षों बाद भी नहीं होता है और न ही ये किसी बैक्टीरिया द्वारा विघटित किये जा सकते हैं; इस प्रकार ये जहाँ के तहाँ पड़े-पड़े पेंड़ों की जड़ों के विकास में बाधक बनते हैं।

ऐसे प्लास्टिक, खेतों, मैदानों एवं अन्य जगहों में पड़े रहने से जल को जमीन के अंदर भूगर्भीय जल-स्तर तक पहुँचने में बाधक होते हैं जिससे भूगर्भीय जल-स्तर भी प्रभावित होता है। फलतः गर्मी के मौसम में कुओं/चापाकलों से जल प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

यत्र-तत्र बिखरे प्लास्टिक बैगों में फँके गये खाद्य सामग्री को पालतू पशु भोज्य पदार्थ के साथ निगल लेते हैं। ये इनकी आंतों में रुकावट पैदा करता है जो ऐसे जानवरों की शनैःशनैः मृत्यु का कारण बन सकता है।

प्रायः कूड़े-कचरों पर जमा ऐसे प्लास्टिक थैलों को अज्ञानतावश जला दिया जाता है जिससे जहरीली गैसों उत्पन्न होती हैं, जिससे श्वास, फेफड़ा संबंधी बीमारियाँ भी हो सकती हैं।

उक्त आलोक में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 943 दिनांक 24.10.2018 तथा अधिसूचना संख्या 1043 दिनांक 11.12.2018 द्वारा सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

● **अपवाद :** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण, भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (120 माइक्रोन से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग को छूट दी गई है।

इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध उत्पादों तथा पौधशालाओं में पौधा उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्रों को कैरी बैग नहीं माना जायेगा।

● नन उवेन (Non-woven) प्लास्टिक कैरी बैग :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 459 दिनांक 12 अगस्त 2021 में स्पष्ट किया गया है कि बिना बुने प्लास्टिक बैग (Non woven Plastic bag) से अभिप्रेत है – “ जो यांत्रिक अथवा थर्मल अथवा रासायनिक साधनों द्वारा एक साथ बंधे हुए जटिल प्लास्टिक फाइबर या तंतुओं (और छिद्रित फिल्मों द्वारा) की प्लास्टिक शीट अथवा वेब आकार के कपड़े से बने हुए बिना बुने प्लास्टिक के बैग और ‘बिना बुने कपड़े’ से अभिप्रेत है जिसमें एक समतल अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट जो सीधे प्लास्टिक फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की फिल्मों से बनाया जाता है। ”

बिहार राज्य की परिसीमा में किसी भी आकार व मुटाई के नन-उवेन प्लास्टिक कैरी बैग (Non-woven plastic carry bag) समेत सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण (Manufacture), आयात (Import), भण्डारण (Storage), परिवहन (Transportation), विक्रय (Sale) एवं उपयोग (Use) पूर्णरूप से प्रतिबंधित है।



Plastic Carry Bag

Non-Woven Plastic Carry Bag

**नन-उवेन
प्लास्टिक कैरी बैग
यह भी
प्लास्टिक है!**

STOP

01 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक (थर्मोकोल समेत) पर पूर्ण प्रतिबंध!

एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक जिसमें थर्मोकोल भी शामिल हैं, पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान एवं स्वास्थ्य को कुप्रभावित करते हैं; अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की गजट अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 18.06.2021 जिसे गजट अधिसूचना संख्या 1012 दिनांक 17.12.2021 द्वारा सशोधित किया गया है द्वारा बिहार राज्य की परिसीमा के भीतर दिनांक 01.07.2022 की तारीख से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलिस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित 19 प्रकार के एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषिद्ध किया गया है:-

(क) प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की इंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ख) कटलरी जैसे - प्लेट, कप, गिलास, काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, टे, स्टर्लर, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्मों, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

● दण्डात्मक प्रावधान :

इन निर्देशों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत दिये गये दण्डात्मक प्रावधानों को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध उस सजा से जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा उस जुर्माना से जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय हैं।

किसी भी निर्देश के उल्लंघन की दशा में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाई गयी मॉडल बिहार (नगर पालिका प्लास्टिक) अपशिष्ट प्रबंधन उप-विधि 2018 के अध्याय-VI, उप-विधि - 7 (ख) के तहत सिटी स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग एवं एकल उपयोग प्लास्टिक को उपविधि के उल्लंघनकर्ता से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करना तथा अनुसूची-1 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना अधिरोदित करना है।